अंग-संग

मेरे अंग-संग रहो
मेरे प्रिय जनो!
मेरी हिफ़ाज़त करो
मुझे इस समय तुम्हारी इतनी ज़रूरत है
जितनी युद्ध में सिपाही को
अपने हथियार की होती है।
दुश्मन नयी साजिशें चल रहा है
हमारे साथियों को
छोटे-छोटे लालचों से
अपने पक्ष में कर रहा है।
मेरे प्यारे कामरेड, रामाचल!
आ, तू अपनी पूरी जमात के साथ आ
मेरी ढाल बन
मेरे अंग-संग चल
इन कमज़ोर क्षणों में
तू मुझे दे इतना बल
कि भूल जाऊं मैं
उन दोस्तों का छल
जो कर गये हैं हम से घात
और छोड़ा है उस समय हमारा साथ
जब शब्द ठीक काम करने लगे थे
और शब्दों की ताक़त से
हम ठीक हथियार गढने लगे थे।
कामरेड रामाचल,
शब्द और हथियार का इस्तेमाल
हज़ारों कंठों
लाखों हाथों की मांग करता है
इसलिये साथियों के छूट जाने का भाव
एक ज़ख्म तो करता है।
आओ
हम अपने-अपने ज़ख्म
एक दूसरे को दिखायें/सहलायें
लेकिन इन्हें अपनी जमात से बिल्कुल न छिपायें
मरहम तो आखिर जमात ही चलायेगी
एक मां की तरह आंसुओं को पोंछेगी
दुलरायेगी
और फिर पीठ ठोंक कर
हमारी शक्ति को बढायेगी।-

-कुमार विकल

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. पीपीएच बुक शॉप, नियर सैन्ट्रल लाईब्रेरी, न्यू कैम्पस,जे.एन.यू।
10. स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब

राजनीति का भगवा रंग, हिन्दू-मुस्लिम दोनों तंग

पेज एक का शेष

आरोप सही भी हो सकते हैं। परन्तु इसके लिये किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ देना एवं आगजनी करने का क्या औचित्य है? पशु-क्रूरता के विरुद्ध बाकायदा क़ानून है। सांड से हमदर्दी रखने वालों को क़ानून अपने हाथ में लेने की बज़ाय सम्बन्धित क़ानून के तहत पुलिस में केस दर्ज कराना चाहिये था। विदित है कि पुलिस में दर्ज कोई भी केस काफ़ी भारी पड़ता है क्योंकि इस से आसानी से छुटकारा नहीं मिलता।

लेकिन आज देश में संघ एवं भाजपा द्वारा चलाई जा रही भगवा लहर के प्रभाव में साम्प्रदायिक माहौल काफ़ी गर्माया हुआ है। आग में घी का काम करने वाले नारे- घर वापसी, लव-जिहाद, रामजादे बनाम हरामजादे... पाकिस्तान भेज दो आदि-आदि एक ओर जहां हिन्दू साम्प्रदायिकता को उकसा रहे है वहीं अल्पसंख्यकों में भय एवं असुरक्षा की भावना को बढा रहे हैं। उनकी इसी भावना का दोहन करने के लिये कट्टर मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्व भी इन्हें लामबंद करने का काम करते हैं। यहीं से आतंकवादियों को जिहादी रूपी कच्चा माल उपलब्ध होता है। गौर से देखा जाय तो दोनों ओर के कट्टरपंथी एक-दूसरे की खुराक हैं। दोनों की साम्प्रदायिक दुकानदारी एक दूसरे पर टिकी है। जब एक कुछ करेगा तभी दूसरे को कुछ करने का मौका मिलेगा।

पुलिस-प्रशासन भी कम दोषी नहीं है। ये लोग भी तभी हरकत में आते हैं जब कोई बड़ा कांड हो जाता है। मान लो उक्त दोनों मामलों-महिला छेड़ने और सांड को घायल करने की रिपोर्ट पुलिस में दी जाती है तो उनके कान पर शायद जूं तक भी न रेंगती। आम जनता पुलिस एवं प्रशासन से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती। टीकरी ब्राह्मण के मामले में तो पुलिस को एक दो दिन पहले ही गांव में तनाव की सूचना दे दी गयी थी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर पुलिस तभी हरकत में आती है जब या तो 'फ़ीस' मिल जाय या फ़िर बात का बतंगड़ बन जाय। क़ानून-कायदों को लागू करने वाली सरकारी एजेंसियां यदि भ्रष्टाचार एवं कामचोरी से मुक्त होकर सही काम करने लगें तो अधिकांश समस्यायें पैदा ही नहीं हो पायेंगी।

देश का सर्वोच्च न्यायालय गत कई वर्षो से कह-कह कर थक गया कि तमाम सरकारी जमीनों पर अवैध कब्ज़े करके बनाये गये धार्मिक स्थलों को हटाया जाये परन्तु सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पिछले अवैध कब्ज़े तो क्या हटाने थे, आये दिन नये-नये कब्ज़े करके और धार्मिक स्थल बनाये जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। हां झगड़ा तब झट शुरू हो जाता है जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य इस तरह का कब्ज़ा करे। अल्पसंख्यकों को तो अवैध तो क्या वैध पर भी कब्ज़ा करने में लाठियां खानी पड़ती हैं। पिछले दिनों पाली गांव के निकट प्रशासन द्वारा निर्धारित ज़मीन पर जब ईसाई अपने एक मृतक को दफ़नाने गये तो उनके साथ यही हुआ था।

इतना ही नहीं अवैध कब्ज़ों के अलावा जब जिसका जी चाहे सड़क को घेर कर जगराता अथवा कीर्तन शुरू कर देता है। एनआईटी की हार्डवेयर चौक से बी के चौक तक वाली सड़क पर तिकोना पार्क से लेकर बस अड्डे तक की सड़क साल भर में कम से कम 20 दिन जरूर बन्द कर दी जाती है। यह काम पहले एक मन्दिर द्वारा किया जाता था, देखा-देखी इसी के बगल में एक और अवैध मन्दिर का निर्माण हो गया। इनसे प्रेरणा पाकर इलाके के मुसलमान भी अब मस्जिद के बाहर सड़क घेर कर नमाज अदा करना अपना अधिकार समझते हैं। इसी तरह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी तमाशा होता है। जबकि इसके लिये बाक़ायदा क़ानून है, बिना एसडीएम और पुलिस की इजाजत के इसका इस्तेमाल वर्जित है। परन्तु सरेआम इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अनेकों बार साम्प्रदायिक झगड़े भी हो चुके हैं। लेकिन फ़िर भी प्रशासन की निष्क्रियता टूटने का नाम नहीं ले रही।

ऐसे में अटाली जैसी जगहों पर साम्प्रदायिक शान्ति कभी भी पुन: भंग की जा सकती है।

नंदीग्राम की जुझारू महिलाओं की वर्तमान दुर्दशा

-निशा विश्वास

नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के हल्दिया तहसील का ग्रामीण इलाका है। यह 2007 से 2010 तक संघर्ष का केन्द्र बिन्दु रही है। यह संघर्ष उस समय शुरू हुआ था, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने दस हज़ार एकड़ ज़मीन किसानों से जबरन अधिग्रहित कर ली थी। पश्चिम बंगाल सरकार उस अधिग्रहित ज़मीन पर रसायन उद्योग खड़ा करना चाहती थी। तब से नंदीग्राम उनेक कृषि और ज़मीन अधिग्रहण विरोधी संघर्षों के लिए प्रेरणाश्रोत रहा है। यह मुख्यतया नंदीग्राम की वजह से ही था कि उस समय की संप्रग सरकार विशेष अर्थिक क्षेत्र और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में बदलाव लाने के लिये मजबूर हुई थी। इस आन्दोलन ने तीन दशक से ज्यादा माकपा (सी पी एम) शासन की हवा निकाल दी और 2011 में राज्य विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिलाया।

इस प्रतिरोध आंदोलन में नंदीग्राम की महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे संघर्ष के अग्रिम कतारों में थीं। सुप्रिया जना ने पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोली चलाने से अपना बहुमूल्य जीवन न्यौछावर कर दिया। उस दौरान सत्रह महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहुतों के साथ बदसलूकी की गयी और लगभग सौ महिलाओं को घायल किया गया। राधारानी अरी (जिसके साथ दो बार सामूहिक बलात्कार हुआ) तपसी दास, स्वर्णमयी दास और बुजुर्ग नर्मदा श्री नंदीग्राम आंदोलन के चेहरे हो गये थे।

उनका साहस, ऊर्जा और अनथक प्रयास ने असंख्य लोग़ों को प्रेरणा दी। यह सपना देखने का समय था, उम्मीद का समय था। सशक्तिकरण का समय था, यह जीने का समय और मरने का समय था। वे अपनी कहानिया बताने के लिये समूचे देश में गयीं। उस समय के विरोधी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया। और चालाकी के साथ उनकी उपलब्धियों को छीन लिया। आम तौर पर नंदीग्राम की जनता विशेष तौर पर वहां की महिलाओं ने सोचा था कि उन्होंने जो सपना देखने का साहस किया था उसे ममता बनर्जी ले आयेंगी। सिंगूर और न्रदीग्राम आन्दोलनों की लहरों पर सवार होकर ममता बनर्जी ने माकपा से सत्ता छीन ली और 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गयी।

नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ हुए ऐतिहासिक संघर्ष की याद में प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष शहीद दिवस के चार दिन पहले ''यौन हिंसा और राज्य दमन के खिलफ़ महिलाएं'' नामक संगठन की सात सदस्यीय टीम नंदीग्राम गयी। टीम ने वहां जो कुछ भी देखा वह बहुत दुखमयी और विक्षुब्ध करने वाला है। वे महिलाएं जो एक समयस शक्तिशाली नेता थीं आज न सिर्फ़ अभावग्रस्त हैं बल्कि शक्तिहीन भी हो चुकी है।

वे संघर्ष के समय बनायी गयी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के नेतृत्व में इस समय कहीं नहीं हैं। चौदह मार्च को मनाये जाने वाले शहीद दिवस में या भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की मीटिंगों में भी उनको बुलाया नहीं जाता। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेठी का नेतृत्व यह भी नहीं जानता कि खुद उसके द्वारा पुलिस और शासक पार्टी गुंडों के खिलाफ़ दायर किये गये मुकदमों का क्या हुआ? दूसरी तरफ़ दिसम्बर 13 में सी.बी.आई. ने 30 से ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ़ मुकदमे दर्ज किये इसमें पुलिस पर हमला करने और हिंसा भड़काने के आरोप में वे महिलाएं भी शामिल की गयी हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुई थीं या जिनके साथ बलात्कार हुआ था। कुछ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगने की सी.बी.आई. की प्रार्थना अभी भी राज्य सरकार के पास पड़ी हुई है। जिन महिलाओं ने न सिर्फ बलात्कार, गोलियां के घाव और राज्य आतंक को झेला बल्कि जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ बहादुराना संघर्ष की अगली कतार में खड़ी रहीं और बाद में वाममोर्चा को सत्ता से हटाने में भूमिका निभाई वे आज राजनैतिक ज़मीन से पूर्णतया बाहर हो गयी हैं।

तपसीदास और स्वर्णमयी जैसी महिलाएं जो गोलियों के घाव से अपाहिज हो गयीं हैं उनको लंबे इलाज व समर्थन की जरूरत है लेकिन उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। महिलाओं में से किसी को भी आंदोलन में उनके योगदान को मानकर न तो कोई पुरूस्कार दिया गया है और न तो कोई काम दिया गया है। अपवादस्वरूप मामलों में परिवार के कुछ पुरुषों को मेट्रो रेल में कुछ अस्थायी नौकरियां दी गयी हैं लेकिन महिलाओं को बिल्कुल ही भुला दिया गया है। तपसीदास जो निरंतर दर्द से कराहती रहती हैं और अधिकांश समय बिस्तर पर ही रहती हैं, को किसी भी तरह का स्वास्थ्य या भावनात्मक समर्थन नहीं दिया गया है। स्थानीय संसद सदस्य हर महीने उसे 15 सौ रुपये देते हैं, जिसमें से 100 रुपये संदेशवाहक हड़प जाता है। यह पैसा डॉक्टर तक पहुंचने की यात्रा के लिये भी पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार के आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी विशेषज्ञ को दिखा सकें। शहीदों की याद में और स्थानीय लोग़ों की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखकर बना एक विशालकाय अस्पताल घोर उपेक्षा और बर्बादी की तस्वीर पेश करता है। इसके मुख्य फ़ाटक में ताला पड़ा रहता है और चौकीदार का यह दावा कि डॉक्टर महीने में एक या दो बार आते हैं, सवालों के घेरे में हैं।

राधारानी अरी जिन्होंने अपने ऊपर हुए बर्बतापूर्ण यौन उत्पीड़न को बताने के लिये ममता बनर्जी के साथ समूचे देश का दौरा किया था, अब याद करती हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले मौजूदा शासक पार्टी द्वारा उनकी बहुत मांग थी। अब जबकि ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में है, उसे उपेक्षापूर्ण ढंग से त्याग दिया गया है। वह कहती है कि मेरा शरीर सम्पत्ति की तरह है जो वोट दिलायेगा और कि वह अक्सर अब आत्महत्या करने के बारे में सोचती हैं। अंगूर दास जिसे उसकी दो बेटियों के साथ बलातकार का शिकार बनाया गया था, जिसमें से एक बेटी दो बच्चों की मां थीं और दूसरी बेटी अविवाहित थी। आज वह उपेक्षा की तस्वीर पेश करती हैं। वह इस वादे को याद करती हैं कि उनकी बेटी की शादी कराना पार्टी की जिम्मेदारी है।

उसके तीनों बेटे उत्तर प्रदेश में एक कालीन उद्योग में काम करते हैं। बड़ी बेटी कविता का ससुराल वाले वापस नहीं बुलाना चाहते। छोटी बेटी गंगा की खुशी दहेज देने या न देने के कच्चे धागे पर निर्भर करती है। बलात्कार की शिकार सोलह महिलाओं में से सिर्फ़ तीन कासे दो लाख रुपये का मुआवज़ा मिला है।

पुरुष वर्चस्व की प्रचंड शक्ति ने महिलाओं को चुप करा दिया है। बादल, गारू, कालिया गारू, रविंद्र दास इत्यादि जैसे बलात्कार के सभी अभियुक्त पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए सालों बाहर रहने के बाद अपने घरों को लौट आये हैं। अफ़वाह तो यह है कि उनका वापस लौटना भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के नेतृत्व से समझौते के बाद ही संभव हुआ है। गारू परिवार राजधानी के क्षेत्र में रहता है और अंगूरदास का ठीक पड़ोसी है। इससे महिलाएं और भी ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं तथा यह उनके अवसाद के कारणों को बढाता है। इन पुरुषों को कोई भी पछतावा नहीं है और भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के समर्थन से, जिसमें नेतृत्व को इन्होंने अच्छा-खासा जुर्माना दिया है। वे इन महिलाओं को और ज्यादा भयभीत करते हैं। सामने होने पर भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के नेता इन महिलाओं से कहते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है? वे यह समझने के लिये तैयार नहीं हैं उनकी समस्या सिर्फ़ न्याय का न मिलना ही नहीं है बल्कि उन्हें हर रोज अपमानित किया जाता है। यहां तक कि पड़ोसी भी अब बलात्कार के शिकार लोगों पर उंगुलिया उठाते हैं।

यद्यपि पश्चिम बंगाल के राजनैतिक परिदृश्य के बदल जाने से और बड़े नीतिगत परिवर्तनों से युद्ध भूमि बदल गयी है तथापि नंदीग्राम उसी तरह उपेक्षा का शिकार है। सड़कें उसी तरह बदहाल हैं, कृषि अभी भी एक फ़सली है, तालाबों की सफ़ाई नहीं हुई है और नहरों को अभी भीखादा जाना है। इस वजह से पुरुषों को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। मनरेगा का काम भी जैसे-तैसे ही है।

नंदीग्राम आज निराशा की दुख भरी तस्वीर है। महिलाएं जो आंदोलन का अभिन्न अंग थी और अधिग्रहण विरोधी संघर्ष की अंकतम कतारों में थीं उन्होंने अंतत: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सत्ताशीन कराया वे आज घरों में ही सीमित हो गयी हैं और सभी किस्म के उत्पीड़न का शिकार है।